धारा 6–ए प्रकरण सं0 84/2018(RCMS No. : 2018/00155) अनवान सरकार बनाम 1. सीताराम पुत्र हुकमाराम जाति जाट निवासी भोपालपुरा, सूरतगढ 2. सीताराम पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी भोपालपुरा पुलिस थाना राजियासर, सूरतगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.01.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण सीताराम पुत्र हुकमाराम एवं सीताराम पुत्र रिछपाल के अभिभाषक श्री आनन्द व्यास एवं विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित हुए। दोनो पक्षो की बहस दिनांक 08.01.2019 को सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विभागीय प्रतिनिधि का कथन था कि पुलिस थाना के पत्र क्रमाक 3449 दिनांक 07.07.2018 से प्राप्त पत्र के अनुसार दिनांक 09.04.2018 को 11:00 पीएम बजे आईपीएस मृदुल कच्छावा, सहायक पुलिस अधीक्षक हमराज सलीम पठान कानि नं 1402 गनमैन नियमत कानि नं 1216 डीआर बलवंत नं 716 द्वारा मुखबीर की सूचना पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पालीवाला के पास वाहन संख्या पिकअप आरजे–13 जीबी–5121 को जांच हेतु रूकवाया गया तो वाहन रूकते ही ड्राईवर का साथी उतरकर खेतों की ओर भाग गया, जिसके सम्बन्ध में सलीम पठान कानि नं 1402 द्वारा सीताराम पुत्र हुकमाराम जाति जाट निवासी भोपालपुरा, सूरतगढ के रूप में उसकी पहचान की गई एवं वाहन से उतरने पर वाहन चालक द्वारा सीताराम पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी भोपालपुरा पुलिस थाना राजियासर, सूरतगढ के रूप में अपनी पहचान प्रस्तुत की गई और इसके द्वारा जीप से उतर कर भागे व्यक्ति की पहचान सीताराम पुत्र हुकमाराम जाति जाट निवासी भोपालपुरा, सुरतगढ के रूप में की गई और उक्त वाहन की जाचं करने पर वाहन में 220 लीटर क्षमता के 11 प्लास्टिक ड्रम व 50 लीटर क्षमता के 4 प्लास्टिक केन डीजल से भरे हुए मिले जिसमें सभी को खोलकर सूंघने पर डीजल प्रतीत हुआ और

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इस प्रकार उक्त वाहन में जांच करने पर कुल 2620 लीटर डीजल भरा हुआ मिला, जिसके सम्बन्ध में वाहन चालक द्वारा बताया गया कि उक्त डीजल पंजाब से लाया जाकर विक्रय किया जाता है।

उनका आगे यह भी कथन था कि सीताराम पुत्र हुक्माराम से भी जीप में रखे डीजल को बेचान व परिवहन करने के सम्बन्ध में पूछा तो उसके पास किसी प्रकार को कोई वैद्य लाईसेंस या अन्य कोई अनुमति पत्र नहीं होना बताया और ना ही डीजल खरीद का कोई बिल/रसीद अपने पास होनी बताई।

उनका यह भी कथन था कि मौके पर सभी 11 ड्रमों में से डीजल सैम्पल बोतलों में लेकर ड्रमों पर मार्क ए1, बी1, सी1, डी1, ई1, एफ1, जी1, एच1, आई1, जे1व के1 अंकित किया गया। इस उपरान्त चार प्लास्टिक के ड्रमो में सैम्पल लिए गए जिसमें सभी केन पर ए1, एम1, एन1 व ओ1 अंकित किया गया व सैम्पल ली गई बोतलों पर एल, एम, एन व ओ, अंकित किया गया। इसके साथ ही तालाशी में पहने कुर्ते की जेब से 500/— का एक नोट, एक ड्राईविंग लाईसेंस, एक काला रंग का पर्स व मोबाईल बरंग काला सैमसंग कम्पनी का मिला जो बतौर जामा तलाशी कब्जा पुलिस लिया गया।

उनका आगे यह भी कथन था कि चूंकि मौके पर वाहन में 2500 लीटर से अधिक डीजल परिवहन व भण्डारण करने का कोई अधिकार पत्र/अनुज्ञापत्र/लाईसैंस/परमिट आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए मौके पर 2620 लीटर डीजल जब्त किया गया। और सीताराम पुत्र रिछपाल निवासी भोपालपुरा पुलिस थाना राजियासर के विरूद्ध पुलिस थाना सूरतगढ में सदर में मुकद्दमा नम्बर 82 दिनांक 10.04.2018 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज किया गया।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इस प्रकार सीताराम पुत्र रिछपाल निवासी भोपालपुरा पुलिस थाना राजियासर सूरतगढ द्वारा डीजल का अवैध परिवहन व निर्धारित क्षमता से अधिक भण्डारण कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज2(क्यू)(आर),3(4)(6), 4 तथा पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999 के क्लॉज 2(आई) की उल्लंघन किया है इसलिए जब्तशुदा जब्त शुदा 2620 लीटर डीजल मय 11 प्लास्टिक ड्रम, 04 प्लास्टिक केन व पिकअप (आरजे—13जीबी—5121) को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राजसात किया जावे।

उनका यह भी कथन था कि अप्रार्थीगण की ओर से जब्तशुदा डीजल की दो बिलों की फोटो प्रतिया अलग —अलग नाम से इस न्यायालय में पेश की है जो कि दौराने जांच पेश नहीं की गई है, जो बाद में सोच विचार करके (after thought) डुप्लीकेट के रूप में प्राप्त कर इस न्यायालय में पेश की गई है, ऐसी डुप्लीकेट प्रतियां कभी भी बनवाई जा सकती है और न ही पूर्व में जांच में पेश करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई **शपथ पत्र इस सम्बन्ध में पेश किया है** इसलिए उक्त कथन स्वीकार करने योग्य नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन था कि उक्त जब्त शुदा वाहन आरजे—13 जीबी—5121 में 2620 लीटर डीजल अवैध रूप से परिवहन किया गया है इसलिए इसे राजसात किये जाने की दशा में वाहन की एवज में माननीय माननीय उच्चतम न्यायालय के **न्यायिक दृष्टान्त कलक्टर गंजम व अन्य बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 के अनुसार वाहन राजसात** करने की दशा में वाहन के एवज में वाहन के बाजार भाव तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जावे और जुर्माना राशि अदा करने पर ही वाहन स्वामी को वाहन सौंपा जा सकता है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत अप्रार्थीगण सीताराम पुत्र हुक्माराम एवं सीताराम पुत्र रिछपाल निवासीगण भोपालपुरा की ओर से श्री आनन्द व्ययास, अभिभाषक का कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त जब्तशुदा 2620 लीटर पंजाब से विक्रय हेतु नहीं लाया जा रहा था बल्कि अप्रार्थीगण जो कि पेशे से कृषक है और अपने कृषि कार्य हेतु अपने वाहन संख्या आर जे 13 जीबी 5121 में क्रमशः सीताराम पुत्र हुक्माराम बिल संख्या 3842 दिनांक 09.04.2018 से 1300 लीटर और सीताराम पुत्र हुक्माराम बिल संख्या 3842 दिनांक 09.04.2018 से 1320 लीटर खरीद कर ला रहे थे। उक्त बिलों की मूल प्रतियां मौका पर जांच अधिकारी को दे दी गई थी किन्तु उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया इसलिए पुनः डुप्लीकेट प्रतियां पैट्रोल पंप मैसर्स एचपी शेरगढ़ फिलिंग स्टेशन, वरयाम खेड़ा, पंजाब से बनवाकर पेश की है।

उनका आगे कथन था कि केन्द्र सरकार के नोटिफिकेशन 2005 के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति 2500 लीटर डीजल क्रय करके परिवहन कर सकता है जबकि वाहन में उक्त दोनों व्यक्तियों क्रमशः **सीताराम पुत्र हुक्माराम के पास 1300 लीटर एवं सीताराम पुत्र रिछपाल** के पास 1320 लीटर डीजल मिला है जो निर्धारित सीमा जो 2500 लीटर से प्रत्येक के पास कम मात्रा में है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार से नियमों की उल्लंघना नहीं की गई है इसलिए उनके खिलाफ राजसात की कार्यवाही समाप्त की जावे।

मैनें विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं पत्रावली व अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब व अन्य प्रस्तुत दस्तावेज जो डुप्लीकेट बिलों की फोटो प्रतियों के रूप में प्रस्तुत है, का भी ध्यानपूर्व अवलोकन किया तो पाया कि यह मामला जिला रसद अधिकारी, रसद विभाग, श्रीगंगानगर के प्रवर्तन अधिकारी (अभि), श्रीगंगानगर ने पुलिस

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

थाना, सूरतगढ के पत्र दिनांक 3449 दिनांक 07.07.2018 के आधार पर प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि दिनांक 09.04.2018 को वक्त 11:00 पीएम आई. पी.एस. श्री मृदुल कच्छावा, **सहायक पुलिस अधिक्षक, वृत सूरतगढ** ने हमराह श्री पठान कानि नं. 1402 गनमैन नियामत कानि नं. 1216 डीआर बलवंत नं 719 द्वारा मुखबीर की सूचना पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पालीवाला के पास वाहन संख्या पिकअप आर—13 जीबी—5121 को जांच हेतु रोककर उक्त वाहन से 220 लीटर क्षमता के 11 प्लास्टिक ड्रम व 50 लीटर क्षमता के 4 प्लास्टिक केन डीजल से भरे हुए थे, जिनमें कुल 2620 लीटर डीजल जब्त करके वाहन व उक्त डीजल को राजसात करने की इस आधार पर प्रार्थना की है कि सीताराम पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी भोपालपुरा पुलिस थाना राजियासर सूरतगढ द्वारा 2500 से अधिक डीजल का अवैध परिवहन व भण्डारण कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज2(क्यू)(आर),3(4)(6), 4 तथा पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999 के क्लॉज 2(आई) की उल्लंघन किया है।

मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचरण निवारण) आदेश 2005 व पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश 1999 जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत बने आदेश है इसलिए उक्त 2005 एवं 1999 के आदेशों के प्रावधानों की अवहेलना होने पर सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(क) के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी जंगीर सिंह पर ही था कि उसके द्वारा किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से हैः—

> **"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"**

अप्रार्थी सीताराम पुत्र रिछपाल जो वाहन आरजे—13 जीबी—5121 का वाहन चालक है के उक्त वाहन से 2620 लीटर डीजल अवैध रूप से पंजाब राज्य से परिवहन करके, बेचान के लिए लाते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक, सूरतगढ द्वारा दिनांक 10.04.2018 को पिकअप डाला नम्बर आरजे—13 जीबी 5121 जब्त किया गया है कि अप्रार्थी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 195 की धारा 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज2(क्यू)(आर),3(4)(6), 4 तथा पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999 के क्लॉज 2(आई) की उल्लंघन किया है।

उक्त आदेश 1999 की धारा 2(आई) जिसका उल्लंघन अंकित किया गया है वह धारा निम्न प्रकार से है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

2(i) **"Reail sale"** means sale of petroleum products **not exceeding 2500 litres** to any one customer at a time

उक्त उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 की धारा क्लॉज2(क्यू)(आर),3(4)(6), 4जिसका उल्लंघन अंकित किया गया है वे धाराएं निम्न प्रकार से है :

2(q). **"Unautorized purchase"** means sale of product by a dealer or cousumer to another dealer or cousumer or to aby other person in contravention of the directive issued for the purpose by the State Government of the oil companies or in contravention of any provision of this order

2(r) **"unauthorized possession"** meand keeping of motor spirit or high speed diesel or any petroleum product or its mixture, in contravention of the provesion of ths order, under the control of dealer or any other person without valid sales documents issued by the concerned oil company.

3(4) **No person** other than the dealer or oil company shall be engaged in the business of selling product.

3(6) **No dealer**, transporter, consumer or any other person shall indulge in any manner in any one or more of the malpractice.

4. **Restriction on marketing of motor spirit and high speed diesel** - No person, other than those authorized by the Central Government, shall market and sell motor spirit or high speed diesel to consumers or dealers.

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अप्रार्थीगण ने अपने लिखित बहस में उक्त जब्तशुदा वाहन संख्या आरजे13 जीबी 5121 2620 लीटर उक्त वाहन से जब्त होने से इंकार नहीं किय है बल्कि उक्त डीजल के सम्बन्ध में दो व्यक्तियों के नाम के बिल की फोटो प्रतिया अंकित करके प्रत्येक के पास क्रमशः 1320 लीटर और 1300 लीटर होना अंकित करके प्रत्येक के पास 2500 लीटर की मात्रा से कम होना अंकित कर व अपने कृषि सम्बन्धी कार्य के लिए क्रय करना बताते हुए, कार्यवाही समाप्त करने की प्रार्थना की गई है। **उक्त कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि कृषक होने सम्बन्धित अपनी कृषि भूमि के सम्बन्ध में कोई राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया हैं और न ही किसी कृषक व अन्य व्यक्ति को 2500 लीटर से अधिक डीजल क्रय करने की उक्त आदेश 1999 की धारा 2आई के तहत कोई अधिकारिता है।**

चूंकि उक्त वाहन में संख्या आरजे13 जीबी 5121 में पंजाब राज्य से क्रय कर लाते हुए 2620 लीटर सीताराम पुत्र रिछपाल से सहायक पुलिस अधीक्षक द्वारा जब्त किया गया है। इस प्रकार **अप्रार्थी सीताराम पुत्र रिछपाल द्वारा पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999 के क्लॉज 2(आई) की अवहेलना की है।**

चूंकि उक्त वाहन से फर्द जब्ती के अनुसार सीताराम पुत्र रिछपाल से 2620 लीटर जब्त किया गया है और जो कि निर्धारित मात्रा 2500 लीटर से अधिक है और उसके पास उक्त जब्तशुदा डीजल के लिए कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र नही है जिसके आधार पर डीजल को अपने कब्जे में रख सके और विक्रय कर सके। अप्रार्थी सीताराम पुत्र रिछपाल का इतनी बडी मात्रा में डीजल को क्रय करके अपने कब्जे में रखना स्पष्ट करता है कि अप्रार्थी डीजल के अवैध कारोबार में लिप्त है। **उक्त डीजल जो एक अत्यंत ज्वलनशील एवं विस्फोटक तरल पदार्थ है, को सुरक्षा की दृष्टि से उक्त पिकअप वाहन में परिवहन करना अत्यंत खतरनाक है। इस प्रकार पेट्रोलियम**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999 के क्लॉज 2(आई) की एवं उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 की धारा क्लॉज2(क्यू)(आर),3(4)(6),4 के प्रावधानों की भी अवहेलना है। इसलिए जब्तशुदा डीजल व वाहन संख्या आरजे13 जीबी 5121 राजसात किये जाने योग्य है।

अतः सहायक पुलिस अधीक्षक, सूरतगढ द्वारा वाहन संख्या आरजे13 जीबी 5121 से जब्त शुद्धा 2620 लीटर डीजल (मय 220 लीटर क्षमता के 11 प्लास्टिक ड्रम व 50 लीटर क्षमता के 4 प्लास्टिक केन) और वाहन संख्या आरजे13 जीबी 5121 को राजसात करने के आदेश दिये जाते है। विभागीय प्रतिनिधि द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 09.01.2019 के अनुसार जब्तशुदा 2620 लीटर डीजल का मूल्य 1,70,981/– और वाहन का बाजार भाव 4,75,000/– बताया गया है। उक्त वाहन राजसात की एवज में डीजल के मूल्य के सामान 1,70,981/– रूपये राशि का जुर्माना आरोपित किया जाता है। यदि वाहन स्वामी 1,70,981/– रूपये जुर्माना के रूप में जमा करवा देता है तो सम्बन्धित थानाधिकारी/जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर उक्त वाहन को नियमानुसार वाहन स्वामी को सुर्पुद कर देवें अन्यथा नियमानुसार वाहन को विक्रय किया जाकर राशि को स्थाई रूप से जमा करवाई जावे। उक्त जुर्माना राशि डीजल विक्रय राशि के अतिरिक्त है। चूंकि पूर्व में डीजल के अन्तरिम निस्तारण के आदेश जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को दिये जा चुके है। इसलिए जिला रसद अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि डीजल की पूर्व विक्रय राशि एवं अन्य उक्त वाहन की जुर्माना/नीलामी राशि नियमुनसार स्थाई रूप से राजकोष में जमा करवाई जावे। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद मदन नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर